

**IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH**

**GWALIOR** मनिगरानी/दतिया/भू-रा/२०१७/१७३२

CASE NO. / 2017 Revision

Applicant/Petitioner

1. Shri Ram S/o Shri Dharme Ahirwar, Age – 70 years
2. Antaram S/o Shri Dharme Ahirwar, Age – 75 years
3. Mahila Ramkali Wd/o Ghanshyam Ahirwar, Age - 85 years, All are R/o Village Dagrai Tehsil & District Datia M.P.

V/s

Non Applicant/ Respondent

State of Madhya Pradesh

**Revision petition arising out of order Dated 27.03.1996 passed by Additional Commissioner Gwalior Division Gwalior in case no. 1911994-95/Appeal wherein the order dated 23.02.1995 passed by the Collector District Datia passed in case no 105/92-93 Sue Muto Revision has been confirmed and the appeal filed by the petitioners/appellant has been rejected, Hence this revision petition.**

**MAY IT PLEASE THIS HON'BLE COURT,**


The humble petitioner most respectfully begs to submit this application as under.

1. That, initially the petitioner have filed an application for seeking the allotment of the agriculture land bearing survey no. 396 area 1.254 Hectare, survey no. 395/2 area 1.214 Hectare, survey no. 395/1/2 area 0.809 Hectare, survey no. 396/1/3 area 0.405 Hectare and land bearing survey no. 395/4 area 0.088 Hectare situated at village Dagrai District Datia by which the petitioner has pleaded that, the petitioners are in possession upon the said disputed land since last 60 & 70 ago from the life time of their forth fathers on account of the said application the then Tehsildar who was the competent authority to allot the land, has issued the

श्री चौधरी काशो

दि 12-6-17 को

12-6-17



144

1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1732-एक/2017

जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र० कं० 191/1994-95/अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-1996 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-3-1996 को इस न्यायालय में दिनांक 12-6-2017 को अर्थात् 21 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से चुनौती दी गई है। दिन-प्रति-दिन विलम्ब का समाधानकारक कारण प्रस्तुत किये जाने पर निगरानी को समय-सीमा में मान्य किया जा सकता है। विलम्ब के संबंध में आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में नहीं बताया है, जिससे आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को समय-सीमा में माना जा सके। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिवस निर्धारित की गई है जबकि आवेदक द्वारा निगरानी 21 वर्ष के अभूतपूर्व विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड/हो।</p>	<p>(एस० एस० अली) सदस्य</p>